



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025

भाद्रपद 7, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—10

संख्या 710/आठ-10-25-15ई0-2011

लखनऊ, 29 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प०आ०-153

चूँकि, राज्य सरकार की राय में जिला अयोध्या के निम्नलिखित क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाना अपेक्षित है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथा-संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 4490/ग्यारह-5-85-99डी0ए0-78, दिनांक 2 नवम्बर, 1985, में इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम-संख्या-343 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित होंगे और निम्नलिखित क्रम-संख्याएं और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम-संख्या	सैंसस कोड	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
344	166428	बेनीपुर	सदर	अयोध्या

क्रम संख्या	सेंसस कोड	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
345	179789	खतम सराय	हरैया	बस्ती
346	179898	शंकरपुर	हरैया	बस्ती
347	179976	पूरे हसन नालबंद	हरैया	बस्ती
348	219992	इस्माइलपुर एहतमाली	तरबगंज	गोण्डा
349	219995	चौखड़िया कदीम	तरबगंज	गोण्डा
350	219996	दुल्लापुर एहतमाली	तरबगंज	गोण्डा
351	219998	महंगूपुर एहतमाली	तरबगंज	गोण्डा
352	219999	लोलपुर एहतमाली	तरबगंज	गोण्डा
353	NA	तुरकौली एहतमाली	तरबगंज	गोण्डा

आज्ञा से,
पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 710/Eight-10-25-15E-2011, dated August 29, 2025:

No. 710/Eight-10-25-15E-2011

Dated Lucknow, August 29, 2025

WHEREAS in the opinion of the State Government the following area of district Ayodhya is required to be developed in a planned manner;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no.11 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 4490/XI-5-85-99D.A.-78, dated November 2, 1985, as amended from time to time, from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*:—

AMENDMENT

(a) In the Schedule to the aforesaid notification, after serial number 343 and the entries relating thereto, the columns of the said Schedule shall stand amended as below and the following serial numbers and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:—

Sl. No.	Census Code	Village Name	Tehsil	District
344	166428	Benipur	Sadar	Ayodhya
345	179789	Khatm Saraye	Harraiya	Basti

Sl. No.	Census Code	Village Name	Tehsil	District
346	179898	Shankarpur	Harraiya	Basti
347	179976	Pure Hasan Nalband	Harraiya	Basti
348	219992	Ismailpur Ehtamali	Tarabganj	Gonda
349	219995	Chaukhdiya Kadeem	Tarabganj	Gonda
350	219996	Dullapur Ehtamali	Tarabganj	Gonda
351	219998	Mahngupur Ehtamali	Tarabganj	Gonda
352	219999	Lolpur Ehtamali	Tarabganj	Gonda
353	NA	Turkauli Ehtamali	Tarabganj	Gonda

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 178 राजपत्र-2025 (529)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2025-(530)-100 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।